न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–प्रकाश राजपुरोहित

अपील सांख्याः–15/2015

श्रीमति अनीता देवी पत्नी स्व0 श्री वेदप्रकाश, जाति अग्रवाल, निवासी वार्ड नं. 16 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

––प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2015 बअदालत जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ जिसकी रूह से अपीलाण्ट का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, बमुराद मन्सुखी व किए जाने अपील स्वीकार।

उपस्थितः–1.श्री अनुभव सिडाना वकील अपीलार्थी
2.सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः–16.02.2017

जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्ण जांच कर उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 332/1986 जारी किया गया था। यह कि अपीलाण्ट नियमित रूप से रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित नियमों का पालन करते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी सामग्री का वितरण करती चली आ रही हैं। यह कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए और बिना ही कोई नोटिस जारी किए दिनांक 30.09.2015 को

यह आदेश जारी किया कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र कार्यालय के आदेश क्रमांक रसद/15/14856–60 दिनांक 21.5.2015 तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं वितरण संबंधी कार्य नहीं किए जाने का आदेश किया। प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2015 से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र उसके पति श्री वेदप्रकाश की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर अपीलार्थी को सम्मिलित कर अपीलार्थी के नाम से जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना नोटिस जारी किये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी बेसहारा विधवा औरत है। अपीलार्थी के तीन लड़किया है। जिनकी पढ़ाई व पालन पोषण का समस्त उत्तरदायित्व अपीलार्थी पर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक दबाव में अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को विधि के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अनुज्ञा–पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के पति के नाम से आर.टी.ए.एल. अनुज्ञा पत्र जारी हुआ जो सिर्फ केरोसीन तेल हेतु वैद्य था। अपीलार्थीया के पति के मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीया के पति के नाम से जारी आर. टी.ए.एल. अनुज्ञा पत्र पर एफ.पी.एस. का कार्य करने हेतु जारी आदेश को दिनांक 30. 9.2015 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.9.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीया के वकील ने दोराने बहस कथन किया कि अपीलार्थीया को बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील रिमाण्ड योग्य बनती है।

अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलार्थीया को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 16.02.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़